

सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग

प्रलिस के लिये:

सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, कार्यवाही की लाइव स्ट्रीमिंग, भारत के मुख्य न्यायाधीश, भारत के महान्यायवादी।

मेन्स के लिये:

सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही, प्रयोजन और आगे की राह।

चर्चा में क्यों:

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) ने महत्त्वपूर्ण संवधान पीठ के मामलों में [अपनी कार्यवाही को लाइव स्ट्रीम करने](#) का नरिणय लया, जसकी सुनवाई 27 सतंबर, 2022 से होगी।

- न्यायालयी कार्यवाही के प्रसारण के कारण सकारात्मक प्रणालीगत सुधार संभव हुए हैं।

पृष्ठभूमि:

- स्वपनलि त्रपिठी बनाम भारतीय सर्वोच्च न्यायालय मामले (2018) में सर्वोच्च न्यायालय ने लाइव स्ट्रीमिंग के ज़रयि इसे खोलने के पक्ष में फैसला सुनाया था।
- इसने माना की लाइव स्ट्रीमिंग की कार्यवाही संवधान के अनुच्छेद 21 (जीवन और व्यक्तगत स्वतंत्रता की सुरक्षा) के तहत न्याय तक पहुँचने के अधिकार का हसिसा है।
- गुजरात उच्च न्यायालय पहला उच्च न्यायालय था जसिने न्यायालयी कार्यवाही को लाइवस्ट्रीम कया जबकीदूसरा कर्नाटक उच्च न्यायालय था।
- वर्तमान में, झारखंड, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, ओडिशा और पटना उच्च न्यायालय अपनी कार्यवाही को लाइव स्ट्रीम करते हैं।
 - इलाहबाद उच्च न्यायालय भी इस वषिय पर वचार कर रही है।

भारत के महान्यायवादी का सुझाव:

- [लाइव-स्ट्रीमिंग](#) को भारत के [मुख्य न्यायाधीश \(CJI\)](#) की पीठ और केवल [संवधान पीठ](#) के मामलों में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेश कया जाना चाहयि।
 - इस परयोजना की सफलता यह नरिधारति करेगी की सभी न्यायालयों यानी सर्वोच्च न्यायालय एवं अखलि भारतीय न्यायालय में लाइव स्ट्रीमिंग शुरू की जानी चाहयि या नहीं।
- महान्यायवादी (AG) ने अपनी सफारिश के समर्थन में न्यायालयों की भीड़ को कम करने और वादयियों के लयि न्यायालयों तक बेहतर भौतिक पहुँच का हवाला दया, जनिहें सर्वोच्च न्यायालय तक आने के लयि अन्यथा लंबी दूरी की यात्रा करनी पड़ती है।
- महान्यायवादी द्वारा सुझाए गए दशिा-नरिदेशों के एक सेट को सर्वोच्च द्वारा अनुमोदति कया गया था। हालाँकी, महान्यायवादी ने सुझाव दया की प्रसारण की अनुमति का अधिकार न्यायालय के पास होना चाहयि तथा नमिनलखिति मामलों में इसकी अनुमति नहीं दी जानी चाहयि:
 - वैवाहिक मामले,
 - कशिारों के हतियों या युवा अपराधयियों के नजी जीवन की रक्षा एवं सुरक्षा से जुड़े मामले,
 - राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधति मामले,
 - यह सुनिश्चति करना की पीडति, गवाह या प्रतवादी ईमानदारी से और बना कसिी डर के गवाही दे सकें।
 - कमज़ोर या भयभीत गवाहों को विशेष सुरक्षा दी जानी चाहयि।
 - यह गवाह के चेहरे के वरूपण का प्रावधान कर सकता है यदी वह गुमनाम/अज्ञात रूप से प्रसारण के लयि सहमति देता है।
 - यौन उत्पीडन और बलात्कार से संबंधति सभी मामलों सहति गोपनीय या संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा करना।
 - ऐसे मामले जहाँ प्रचार/पब्लिसिटी न्याय के प्रशासन के वरिद्ध हो, और
 - ऐसे मामले जो लोगों की भावनाओं को भडका सकते हैं या उत्तेजति कर सकते हैं और समुदायों के बीच शत्रुता उत्पन्न करने का कार्य

कर सकते हैं।

अन्य देशों में परदृश्य

- **संयुक्त राज्य अमेरिका:** वर्ष 1955 से ऑडियो रिकॉर्डिंग और मौखिक तर्कों के प्रतिलिखों की अनुमति दी गई है।
- **ऑस्ट्रेलिया:** लाइव या वलिंग्बि प्रसारण की अनुमति है लेकिन सभी न्यायालयों में प्रथाएँ और मानदंड अलग-अलग हैं।
- **ब्राजील:** वर्ष 2002 से न्यायालय में न्यायाधीशों द्वारा की गई चर्चा और मतदान प्रक्रिया सहित न्यायालयी कार्यवाही के लाइव वीडियो एवं ऑडियो प्रसारण की अनुमति है।
- **कनाडा:** कार्यवाही का सीधा प्रसारण केबल संसदीय मामलों के चैनल पर प्रत्येक मामले के स्पष्टीकरण और न्यायालय की समग्र प्रक्रियाओं और शक्तियों के साथ किया जाता है।
- **दक्षिण अफ्रीका:** वर्ष 2017 से दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च न्यायालय ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के विस्तार के रूप में मीडिया को आपराधिक मामलों में न्यायालयी कार्यवाही को प्रसारित करने की अनुमति दी है।
- **यूनाइटेड किंगडम:** वर्ष 2005 के बाद न्यायालय की वेबसाइट पर एक मिनट की देरी से कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जाता है, लेकिन संवेदनशील अपीलों में कवरेज वापस लिया जा सकता है।

संबद्ध चर्चाएँ और आगे की राह:

- **चर्चाएँ:**
 - भारतीय न्यायालयों की कार्यवाही के वीडियो क्लिप जो पहले से ही YouTube और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संवेदनात्मक शीर्षक और कम संदर्भ के साथ उपलब्ध हैं, जनता के बीच गलत सूचना का प्रसार कर रहे हैं, जैसा कि हाल के दिनों में देखा गया है।
 - साथ ही, प्रसारकों के साथ वाणज्यिक समझौते भी संबंधित हैं।
 - लाइव स्ट्रीमिंग वीडियो का अनधिकृत पुनरुत्पादन चर्चा का एक और कारण है क्योंकि सरकार द्वारा बाद में इसका विनियमन बहुत मुश्किल होगा।
- **आगे की राह:**
 - न्यायालयी कार्यवाही का प्रसारण पारदर्शिता और न्याय प्रणाली तक अधिक पहुँच की दृष्टि में एक कदम है। संवैधानिक और राष्ट्रीय महत्त्व के मामलों को सार्वजनिक दृश्यों के लिये उपलब्ध कराना नागरिकों के सूचना और प्रौद्योगिकी का अधिकार है।
 - यदि शीर्ष न्यायालय की कार्यवाही का सीधा प्रसारण संभव नहीं है, तो वैकल्पिक रूप से कार्यवाही की वीडियो रिकॉर्डिंग की अनुमति दी जानी चाहिए।
 - प्रसारकों के साथ करार गैर-व्यावसायिक आधार पर होना चाहिए। व्यवस्था से किसी को अनुचित लाभ नहीं होना चाहिए।
 - यह सुनिश्चित करने के लिये दिशा-निर्देशों का एक सेट तैयार किया जाना चाहिए कि वीडियो शीर्षक और विवरण भ्रामक नहीं हैं तथा केवल सही जानकारी देते हैं।
 - अनधिकृत रूप से वीडियो की लाइव-स्ट्रीमिंग के लिये कड़ी सजा/जुरमाना लगाया जाना चाहिए।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न (PYQ)

प्रश्न. नजिता का अधिकार जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के आंतरिक भाग के रूप में संरक्षित है। नमिनलखिति में से कौन-सा भारत के संविधान में उपर्युक्त कथन का सही और उचित अर्थ है? (2018)

- (a) अनुच्छेद 14 और संविधान के 42वें संशोधन के तहत प्रावधान।
- (b) अनुच्छेद 17 और भाग IV में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत।
- (c) अनुच्छेद 21 और भाग III में गारंटीकृत स्वतंत्रता।
- (d) अनुच्छेद 24 और संविधान के 44वें संशोधन के तहत प्रावधान।

उत्तर: (c)

व्याख्या:

- वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय के नौ-न्यायाधीशों की बेंच ने जस्टिस के.एस. पुट्टस्वामी बनाम भारत संघ मामले में सर्वसम्मति से पुष्टि की कि नजिता का अधिकार भारतीय संविधान के तहत एक मौलिक अधिकार है।
- इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने यह घोषणा की थी कि अनुच्छेद 21 में गारंटीकृत प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार में नजिता का अधिकार भी शामिल है।
- नजिता के अधिकार को अनुच्छेद 21 के तहत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अधिकार के आंतरिक भाग के रूप में तथा संविधान के भाग-III द्वारा गारंटीकृत स्वतंत्रता के हिस्से के रूप में संरक्षित किया गया है।

अतः विकल्प (c) सही है।

[स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस](#)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/live-streaming-of-the-supreme-court-s-proceedings>

